

\*जनपद सुलतानपुर\*

\*प्रेस नोट\* \*संख्या\* \*04 दिनांक-21.02.2021\*

\*थाना-कोतवाली नगर पुलिस द्वारा झूठी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, गबन किये गये 06 लाख 10 हजार रुपये बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई\*

\*नाम पता अभियुक्त\*- पन्ना लाल सोनी पुत्र राम जी सोनी निवासी ज्ञानीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर।

\*बरामदगी\*- \*कुल 06 लाख 10 हजार रूपया ( जिसमें 500 - 500 रूपये की कुल 12 गड्डी एवं 10 हजार रूपये 500 - 500 की कुल 20 नोट\*)

दिनांक 28.01.2021 वादी मुकदमा द्वारा थाना को0नगर को सूचना दी गयी कि वह प्रहलाद खण्डेलवाल के यहां जनपद प्रतापगढ़ शहर में सर्राफा की दुकान में काम करता है। दिनांक 28.01.2021 को मालिक के काम से दिल्ली जाने के लिये मालिक से 30 लाख रुपये लेकर अपने साथी सन्तोष कुमार सोनी पुत्र सालिक राम सोनी निवासी लच्छीपुर बाजार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के साथ अलग अलग दो बैग में 15-15 लाख रुपये लेकर प्रतापगढ़ स्थित आवास से शाम 06.15 बजे ई-रिक्शा से सदर बाजार मोड़ के लिये निकले फिर वहां से मैजिक गाड़ी नं0 UP72P8267 में बैठकर सुलतानपुर पहुंचकर पयागीपुर जनपद सुलतानपुर पहुंचे वहां पर चाय पीकर फिर ई-रिक्शा नं0 UP44AT3251 में बैठकर अमहट वाल्वो बस पकड़ने के लिये जा रहे थे। वृन्दावन मैरिज लान के पास पीछे से पल्सर सवार दो बदमाश ई-रिक्शा को ओवर टेक करके रूकवा लिया तथा मो0सा0 में पीछे बैठा बदमाश उतरकर बैग छीन लिये।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन अंकुश अभियान के तहत घटना को अनावरित करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव तथा क्षेत्राधिकारी नगर सतीश चन्द्र मिश्रा, क्षेत्राधिकारी बल्दीराय विजयमल सिंह यादव के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम की सक्रियता से दिनांक 20.2.2021 को मु0अ0सं0 83/21 धारा 392 भा0द0वि0 से तरमीम 406 भा0द0वि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त पन्ना लाल सोनी पुत्र राम जी सोनी निवासी ज्ञानीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पन्ना लाल सोनी पुत्र राम जी सोनी निवासी ज्ञानीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर के द्वारा घटना का षडयंत्र रचकर अपने साथी पप्पू व लकी से साथ मिलकर सर्राफा व्यवसायी प्रह्लाद खण्डेलवाल पुत्र राधेश्याम खण्डेलवाल निवासी श्यामबिहारी गली थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़ का 15 -15 लाख रूपया साथी संतोष सोनी के साथ ले जाते समय अमहट सुलतानपुर के पास से दिनांक 28.1.2021 को लूट की घटना दिखाते हुए गबन किया गया है। अभियुक्त पन्नालाल सोनी उपरोक्त को दिनांक 20.02.201 को ज्ञानीपुर थाना क्षेत्र कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर से घटना से संबन्धित कुल 06 लाख 10 हजार रूपया ( जिसमें 500 - 500 रूपये की कुल 12 गड्डी एवं 10 हजार रूपये 500 - 500 की कुल 20 नोट) सहित गिरफ्तार किया गया व उसके दो साथी पप्पू व लकी की तलाश जारी है।

\*संक्षिप्त विवरण:\* घटना की परिस्थिति और पृष्ठभूमि का गहराई से आँकलन और विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा पन्नालाल सोनी पूर्व में अपने मालिक श्री प्रहलाद खण्डेलवाल के साथ धोखाधड़ी कर चुका है और लगभग 05 लाख रूपये का देनदार है। साथ ही उक्त लूट की घटना के बाद उसके व परिवार के खर्चे अचानक बढ़ गए हैं। जमीनी सूचनाओं को विकसित करते हुए गहराई से पूछताछ करने पर पन्नालाल से घटना में संलिप्तता स्वीकार की और पूरी योजना का घटना क्रम बताया। अभी तक की पूछताछ के आधार पर उसके साथ संतोष की संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. प्र0नि0 भूपेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर
2. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर
3. का0 प्रदीप सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर
4. का0 राहुल गिरी थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर